

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 460 / 2013
संस्थान दिनांक 26.08.2013

म0प्र0 राज्य द्वारा आबकारी विभाग वृत्त अंजड़
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

विरुद्ध

राजेन्द्र पिता दिलीप, आयु 22 वर्ष,
निवासी-शिवालय मोहल्ला, अंजड़
तहसील अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक 20.04.2015 को घोषित)

1. आबकारी विभाग वृत्त अंजड़ द्वारा अपराध क्रमांक 94 / 2013 अंतर्गत म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (1) (क) में दिनांक 26.08.2013 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 20.05.2013 को समय प्रातः 11:00 बजे शिवालय मोहल्ला, अंजड़ में अपने आधिपत्य में अवैध रूप से बिना अनुमति के एक प्लास्टिक की जरी केन में लगभग 06 लीटर हाथ भट्टी मदिरा भरी रखे हुए पाये जाने के संबंध में अभियुक्त पर म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (1) (क) के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि आबकारी विभाग वृत्त अंजड़ द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 20.05.2013 को आबकारी उपनिरीक्षक श्री नफीस खान को गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अवैध रूप से मदिरा का विक्रय कर रहा है। सूचना पर विश्वास कर अभियुक्त के रिहायसी मकान पहुँचकर अभियुक्त को प्रदर्शपी 1 के अनुसार आबकारी उपनिरीक्षक श्री नफीस खान ने अपनी जामा तलाशी साक्षियों के समक्ष विधिवत देकर अभियुक्त के आधिपत्य से एक

प्लास्टिक की जरीकेन में हाथ भट्टी मदिरा 6 लीटर बरामद की गई, जिसे जप्त कर प्रदर्शपी 2 का जप्ती पंचनामा बनाया तथा अभियुक्त राजेन्द्र को गिरफ्तार कर प्रदर्शपी 3 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाया, तत्पश्चात् आबकारी विभाग वृत्त अंजड़ ने अपराध क्रमांक 94/2013 अंतर्गत धारा 34(1)(क) म.प्र. आबकारी अधिनियम में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर सम्पूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग पत्र/परिवाद पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री मसूद एहमद खान, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी अंजड़ द्वारा अभियुक्त राजेन्द्र के विरुद्ध म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (1) (क) के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्तों ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि –

क्या अभियुक्त ने दिनांक 20.05.2013 को समय प्रातः 11:00 बजे शिवालय मोहल्ला, अंजड़ में अपने आधिपत्य में अवैध रूप से बिना अनुमति के एक प्लास्टिक की जरीकेन में लगभग 06 लीटर हाथ भट्टी मदिरा भरी रखे हुए पाये गये ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में आबकारी आरक्षक इरफान अली (अ.सा.1), राजु (अ.सा.2) एवं आबकारी उपनिरीक्षक नफीस खान (अ.सा.3) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार विचारणीय प्रश्न के संबंध में

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में आबकारी उपनिरीक्षक नफीस एहमद खान अ.सा. 3 ने दिनांक 20.05.13 को वह आबकारी विभाग वृत्त अंजड़ में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्त के मकान पर उपस्थित हुए तथा साक्षियों को बुलाकर मुखबिर की दी गई सूचना से अवगत कराया और सहयोग मांगा। अभियुक्त को आवाज देकर बुलाया उसके बाहर आने पर मुखबिर से प्राप्त सूचना से अवगत कराकर अपनी जामा तलाशी प्रदर्शपी 1 के अनुसार अभियुक्त को दी थी, जिसके

सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। अभियुक्त के मकान की विधिवत तलाशी लेने पर उसके मकान के पहले कमरे पर उल्टे हाथ की ओर एक प्लास्टिक की केन बरामद हुई, जिसमें तरल पदार्थ भरा हुआ पाया। उक्त तरल पदार्थ को उसके द्वारा देखकर, सुंघकर, चखकर और यंत्रों द्वारा परीक्षण करने पर उक्त तरल पदार्थ हाथ भट्टी मदिरा होना पाया था और नापने पर उक्त हाथ भट्टी मदिरा 6 लीटर होना पाई गई, जिसको जप्त कर प्रदर्शपी 2 का जप्ती पंचनामा साक्षियों के समक्ष बनाया जिसके डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्पष्ट किया कि मुखबिर की सूचना उसे 10:15 पर प्राप्त हुई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि यदि कोई व्यक्ति मदिरा विक्रय करता है तो ग्लास एवं मदिरा के साथ खाने का सामान भी रखता है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसके द्वारा कोई ग्लास या खाने का सामान जप्त नहीं किया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि वह साक्षी राजु को पहले से नहीं जानता था, लेकिन वह अभियुक्त के घर के सामने खड़ा था तो उसने राजु को आवाज देकर बुलाया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने अंजड़ के सचिव से अभियुक्त के मकान के संबंध में कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं किये थे, लेकिन उसके स्टॉफ अभियुक्त का मकान पहले से जानते थे। अभियुक्त के घर पर उसकी पत्नी एवं बच्चे भी साथ में रहते हैं। साक्षी ने स्वीकार किया कि आवासीय मकान में व्यक्ति परिवार सहित निवास करते हैं और यदि किसी आवासीय स्थान की तलाशी लेते हैं तो महिला आरक्षक को साथ में रखना आवश्यक होता है, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया कि उस दिन अभियुक्त अकेला ही था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्त की पत्नी एवं बच्चे घर पर थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने प्रदर्शपी 2 में मदिरा को चखने एवं सुंघने तथा यंत्रों से परीक्षण नहीं किया है और नाप का कोई पंचनामा भी नहीं बनाया है लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने अभियुक्त के विरुद्ध असत्य प्रकरण बनाया है या वह असत्य कथन कर रहा है।

8. आरक्षक इरफान अ.सा.1 ने भी परिवादी आबकारी उपनिरीक्षक नफीस एहमद खान द्वारा दिनांक 20.05.13 को अभियुक्त के निवास स्थान से उसकी घर की तलाशी लेने पर एक प्लास्टिक की जरी केन में हाथ भट्टी मदिरा जप्त करने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी ने प्रदर्शपी 1 व 2 पर अपने हस्ताक्षर भी स्वीकार किये हैं। अभियुक्त की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने अभियुक्त का घर पहले से देखा हुआ था। अभियुक्त के घर के अंदर परिवादी तथा वह गये थे। साक्षी राजु को भी अभियुक्त के मकान के अंदर ले गये थे, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि नफीस खान ने उसके सामने कोई मदिरा जप्त नहीं की थी अथवा वह आबकारी विभाग में कार्य करने के कारण अभियुक्त के विरुद्ध असत्य कथन कर रहा है।

9. राजु अ.सा. 2 का कथन है कि घटना वाले दिन वह शिवालय मंदिर पर बैठा हुआ था तब आबकारी विभाग की वाहन मोहल्ले में आई और अभियुक्त के मकान से मदिरा जप्त की थी। मदिरा प्लास्टिक की केन में भरी हुई थी। आबकारी विभाग वाले वहाँ पर लिखा-पढ़ी कर रहे थे, तब वह उनके पास गया और तब उन्होंने से कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिये थे। साक्षी ने प्रदर्शपी 1 व 2 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। अभियोजन की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि आबकारी उपनिरीक्षक श्री नफीस खान ने अपनी तलाशी दी थी और उसका प्रदर्शपी 1 का पंचनामा बनाया था और अभियुक्त के यहाँ से मदिरा जप्त कर प्रदर्शपी 2 के अनुसार जप्ती की थी जिस पर उसने हस्ताक्षर किये थे।

10. अभियुक्त की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि वह अभियुक्त के मकान से दूर बैठा हुआ था। आबकारी विभाग वाले अभियुक्त के घर से बाहर निकले तब वह गया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रदर्शपी 1 लगायत 3 के पंचनामों पर आबकारी विभाग वालों ने क्या लिखा था वह नहीं बता सकता है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसके सामने आबकारी विभाग वालों ने मदिरा की जाँच एवं नाप नहीं की थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि वह उक्त दस्तावेजों पर क्या लिखा था नहीं बता सकता है। साक्षी ने स्वीकार किया कि वह नहीं बता सकता है कि अभियुक्त के किस कमरे से मदिरा जप्त की थी।

11. ऐसी स्थिति में जबकि राजु अ.सा. 2 जो कि घटना का स्वतंत्र साक्षी ने आबकारी विभाग द्वारा उसके सामने अभियुक्त के मकान की तलाशी लेने और उसके सामने ही अभियुक्त के मकान से उक्त मदिरा जप्त करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं, बल्कि साक्षी का यह कथन है कि उसने बिना पढ़े प्रदर्शपी 1 लगायत 3 के पंचनामों पर अपने हस्ताक्षर किये हैं तथा परिवादी ने मदिरा की जाँच एवं माप उसके सामने नहीं की थी। तो ऐसी स्थिति में यह शंकास्पद हो जाता है कि परिवादी ने अभियुक्त के मकान से उसके आधिपत्य में रखी हुई एक केन में 6 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जप्त की थी। यहाँ तक कि उक्त मकान अभियुक्त के नाम से होने या अभियुक्त के आधिपत्य में होने के संबंध में भी अभियोजन की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई, तो ऐसी स्थिति में भी अभियुक्त के आधिपत्य से उक्त मदिरा की जप्ती शंकास्पद हो जाती है और अभियोजन का प्रकरण शंकास्पद हो जाता है और अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

12. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त राजेन्द्र के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अतएव अभियुक्त राजेन्द्र को संदेह का लाभ देते हुए धारा म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (1) (क) अपराध से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

13. प्रकरण में जप्तशुदा एक प्लास्टिक की जरीकेन में 6 लीटर हाथ भट्टी मदिरा मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी